बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिए

शिक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिये शिक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

सन्दर्भ:

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य शिक्षा विभाग के तहत पूरे बिहार में कार्यरत अध्यापिकाओं / अध्यापकों व जिला शिक्षा अधिकारी के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग वे बाल विवाह या दहेज की घटना संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसके रोकथम की पहल करने में करेंगे।

बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने में शिक्षको और जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका

शिक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारी को समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। उन्हें ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक बुराईयों के उपचार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाल विवाह और दहेज प्रथा सहित कई मानवाधिकारों के मुद्दों के समाधान में शिक्षकों की अहम् भूमिका होती है। समुदाय में हर व्यक्ति बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने में योगदान दे सकता है। बाल विवाह निषेध कानून, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने के लिए प्रत्येक स्कूल शिक्षक व जिला शिक्षा अधिकारी को बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है। शिक्षक व जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनायें, ताकि आम आदमी अपने समाज में बाल विवाह व दहेज प्रथा को रोकने के लिए काम कर सके।

शिक्षकों व जिला शिक्षा अधिकारी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

बाल विवाह व दहेज प्रथा निवारण के लिए दीर्घावधि उपाय

1. बाल विवाह और दहेज प्रथा पर जागरूकता बढ़ाने व इनके प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक उपलब्ध अवसर का उपयोग करें।
    - स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व त्यौहार आदि उत्सवों के अवसरों पर बाल विवाह, दहेज प्रथा व अन्य मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर चर्चा आयोजित करें।
    - स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें।
    - स्कूल में बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के मुद्दे पर लोक कला / थियेटर का संचालन करें ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चल सके।
    - बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने से संबंधित सफल केस अध्ययनों का संग्रह तैयार कर बच्चों को उनके बारे में बताएं तथा सम्बंधित विडियो भी उन्हें दिखाएं।
    - बाल विवाह पर बात करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करें जिसमे पुलिस और बाल विवाह निषेध अधिकारी के सदस्यों को भी मुद्दे पर बात रखने के लिए आमंत्रित करें।
    - दहेज प्रथा पर बात करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करें जिसमे जिला दहेज निषेध अधिकारी व पुलिस के सदस्यों को भी मुद्दे पर बात रखने के लिए आमंत्रित करें।
    - विद्यालय की दीवारों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों से सम्बंधित चित्र बनवाएं तथा सम्बंधित संदेशों का दिवार लेखन कराएं।
    - बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति इत्यादि जैसे गांवों के विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य बनें।

- किशोर लड़कियों व लड़कों के समूहों को मजबूत करें और उन्हें बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लागू कानून के बारे में जागरूक करें।

2. बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए तत्कालिक उपाय

- अपने स्कूल के उन सभी बच्चो की सूची बना लें जिनका बाल विवाह संभावित है।
- यदि स्कूल में बच्चे की उपस्थिति लगातार घट रही हो और उसके शादी होने की संभावना दिख रही हो तो बच्चे के घर में जाए और उसके माता–पिता से पढ़ाई के महत्व और बाल विवाह के दुष्परिणामों पर बात करें।
- ऐसे छात्राओं/छात्रों के माता–पिता की काउन्सलिंग करें तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा से सम्बंधित कानूनों के बारे में जानकारी दे और बताएं कि यह कानूनन अपराध है।
- विवाह में विलंब के लिए सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में उन्हें बताएं।
- बाल विवाह या दहेज के लेन–देन की सूचना मिलते ही निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज कराएं।
- अगर पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है, अथवा पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट नही लिखी जाती है, तो निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायें। अगर यह भी करना मुश्किल है तो आप महिला विकास निगम के हेल्पलाइन 181 पर या 1091 महिला हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं, यह दोनों निःशुल्क सेवाएं है।
- बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन पर फोन करें या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन / पुलिस अधीक्षक / बाल कल्याण समिति / महिला एवं बाल विकास विभाग या राज्य में समाज कल्याण विभाग आदि को पत्र लिखें।
- यदि पुलिस स्टेशन दूर है या आसपास के इलाकों में कोई न्यायालय नहीं है तो आप आस–पास में बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन से भी सहायता मांग सकते हैं।
- परिवारों को संबंधित विभागों के साथ जोड़ें ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभों का उपयोग कर सकें और परिवार के किशोरियों / किशोरों के विवाह को कानूनी आयु तक टालने के लिए और दहेज प्रथा को रोकने के लिए प्रेरित हो सकें।
- बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिवार के सदस्यों से शिक्षा के महत्व के बारे में बात करें, और शादी करने हेतु स्कूल छुड़वाने के बजाय लड़कियों और लड़कों के स्कूली शिक्षा को हर हाल में पूरा कराने पर जोर दें।
- दहेज के लेन–देने की जानकारी आप निकटतम पुलिस स्टेशन में या जिला दहेज निषेध अधिकारी को दे। बिहार राज्य में आप इसकी सूचना जिला कल्याण अधिकारी (SCST) को भी दे सकते है जो इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग, बिहार को देगा।

3. स्कूल के बुनियादी ढांचे (स्कूल प्रबंधन समितियों और गांव शिक्षा समितियों) के साथ तालमेल के जरिये निम्न कदमों को उठाएं

- छात्रों की उपस्थिति तथा उनके पढ़ाई खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ने की जाँच करें।
- किशोरों के क्षमता निर्माण को इस कदर बढ़ावा दें कि वे समाज में बाल विवाह व दहेज प्रथा के प्रचलित रीति रिवाजों को तोड़ने, लड़कियों के महत्व को समझने, बाल–विवाह को न करने का निर्णय लेने में सक्षम हो सकें और बातचीत करने का कौशल विकसित कर सकें।
- पढ़ाई छोड़ने की घटना को रोकने और बाल विवाह को समाप्त करने के सम्बन्ध में कानूनी रूप से निर्धारित शादी की उम्र और योजनाओं को और दहेज से सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी समुदाय में फैलाएं।
- बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में किशोरों का एक ढांचा तैयार करें जैसे कि किशोर समितियां इत्यादि।
- शिक्षकों के बीच जागरूकता पैदा करें और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
- सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करें और योजनाओं से सम्बंधित नई जानकारीयां समुदाय में देते रहें।
- क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ मिलकर बाल विवाह व दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए एक नेटवर्क बनाएं।

स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप - जागरूकता

स्कूल मासिक आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजगा तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को CC करते हुए उप–विभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा।

क्र. सं.	दिनांक	गतिविधियों का विवरण, उदहारण के लिए- शपथ ग्रहण, चित्रकला प्रतियोगिता, चर्चा, बहस, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर बनाना इत्यादि	बाल संसद / मीना मंच द्वारा की गई गतिविधियां	सम्बंधित उप विषय	भाग लेने वाले बच्चों की संख्या	कोई अन्य टिप्पणी

स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप - बाल विवाह के लिए संभावित बच्चों की पहचान और की गई कार्रवाई।

क्र. सं.	कक्षा	उम्र	माता-पिता, स्कूल प्रबंधन समिति, सरपंच, समूह संसाधन समन्वयक व अन्य से बातचीत	वर्तमान स्थिति विवाहित/ अविवाहित	कोई अन्य टिप्पणी

स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप - उन बच्चों के लिए जिनका बाल विवाह हो चुका है।

क्र. सं.	बच्चे का नाम	माता-पिता का नाम	बच्चे का पता	की गयी कार्यवाही - सरपंच को रिपोर्ट	वर्तमान स्थिति	कोई अन्य टिप्पणी

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग